भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1058
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2014/7 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>कंपनी अधिनियम का उल्लंघन</u>

1058. श्री इन्नोसेन्ट :
श्री अश्विनी कुमार :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि अनेक गैर-चिट-फंड कंपनियों, चिटफंड कंपनियों के रूप में काम करके सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही हैं और इसके द्वारा कंपनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर रही हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कंपनी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रहस्योद्घाटित हुए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;
(ग) कितने मामलों में जांच की गई और कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई और उक्त अवधि के दौरान लगाए गए दंड क्या हैं; और
(घ) सरकार द्वारा ऐसे उल्लंघनों को रोकने और निवेशकों के हितों के संरक्षण और ऐसी कंपनियों में अंशधारकों/निवेशकों की सहायता के लिए क्या कदम/उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (घ) : कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा 2013 में चिट फंडों या 'चिट फंड कंपनियों' से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। इनके प्रावधान चिट फंड अधिनियम, 1982 में हैं, जो कि वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) द्वारा प्रशासित एक केन्द्रीय अधिनियम है, किंतु इसका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों को सौंपा गया है, जो चिट फंड चलाने वाली संस्थाओं का पंजीकरण करती हैं तथा उनके कार्यों को विनियमित करती हैं तथा बिना पंजीकरण के चिट फंड चलाने वाली कंपनियों सहित उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। तथापि, केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली तथाकथित 'चिट फंड कंपनियों' की श्रेणी में आने वाली 14 कंपनियों के मामलों की जांच की है। ऐसी कंपनियों पर कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अभियोग चलाने और जांच के परिणामों को सीबीआई, जो की ऐसी कंपनियों की विभिन्न कथित अपराधिक गतिविधियों की जांच कर रही है, के साथ साझा करने का निर्णय लिया गया है।

*****